न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 01/2020

निर्णय दिनांक 19.02.2020

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का भानसर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

विक्रम सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी भानसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भानसर ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी विक्रम सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी भानसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने चक 4 डी.ओ. (बी) के मु.न. 227/45 कि.न. 04 ता 10 = 7.00 बीघा, 12 ता 13 = 2.00 बीघा कुल 9.00 बीघा कमाण्ड अराजीराज भूमि पर कृषि सम्वत 2076 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 19.02.2020 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 19.02.2020 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय चालान की प्रति प्रस्तुत की। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णन किया है कि उक्त भूमि विशेष आंवटन में आंवटन करवाने हेतु राशि 1,53,400/–रू दिनांक 20.03.2017 को राजकोष में जमा करवा दिये गये है। अप्रार्थी के पास उक्त भूमि का आंवटन आदेश नही होने व रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज होने के कारण अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल क़ारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू–राजस्व का 50 गुना 810/–अक्षरे आठ सौ दस रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। भू.अ. निरीक्षक खारबारा को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खडी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner